कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1419 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 26 मार्च, 2019.

सेवा में,

श्री जितेन्द्र सिंह C/O श्री लेखराज सिंह
निवासी– एस 142 फेस 4 शिवालिक नगर, भेल
रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249403

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 1 एवं 2	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार श्री ब्रहमपाल सिंह के शिकायती पत्र के सबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–787/XXV-02/2018 दिनांक 02 मार्च, 2019 द्वारा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। (पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न)
बिन्दु संख्या 03 एवं 04	उक्त सूचना इस कार्यालय में धारित नही है।

संलग्न–यथोपरि 01 पृष्ठ

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

प्राप्त 22/3/19

सेवा मे, लोक सूचना अधिकारी / मुख्य निर्वाचन अधिकारी
कार्यालय - मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड

विषय- RTI में सूचना विषयक

प्रार्थी आपके कार्यालय से RTI मे सूचना माँग रहा है। शुल्क के रूप में 10 रुपये का मूल पोस्टल आर्डर No - 46F317332 प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। माँगी जा रही सूचना का बिन्दुवार विवरण -

1- प्रार्थी के दिनाँक 17-2-2019 के शिकायती पत्र पर आपके कार्यालय को जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार से प्राप्त जाँच आख्या / जाँच रिपोर्ट की सत्यापित छाया प्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

2. प्रार्थी के दिनाँक 01-3-2019 के शिकायतीपत्र पर आपके कार्यालय को जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार से प्राप्त जाँच आख्या / जाँच रिपोर्ट की सत्यापित छायाप्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

3. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली की गाइड लाइन के अनुसार राजपत्रित पद पर तैनात अधिकारी अपने गृह जनपद मे तैनात नियमानुसार रह सकता है। कृपया उक्त गाइड लाइन की सत्यापित छायाप्रति देने का कष्ट कीजिएगा।

4. श्री ब्रह्मपाल सिंह जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) हरिद्वार के पद पर तैनात है तथा गृह जनपद हरिद्वार है। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन / दिशा निर्देश के अनुसार आदर्श आचार संहिता लोक सभा चुनाव 2019 में इनको तैनाती अपनी गृह जनपद हरिद्वार मे नियमानुसार सही है कृपया उस नियम / शासनादेश की सत्यापित छायाप्रति देने का कष्ट करे।

दिनांक - 18/3/19 पोस्टल आर्डर No - 46F317332

अनुरोधकर्ता / प्रार्थी का नाम पता
Jitendra Singh
18/3/19
जितेन्द्र सिंह S/o
श्री लेख राज सिंह
एस- 142 फेस 4, शिवालिक नगर भेल
रानीपुर हरिद्वार
(249403)
9758104509

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 787 /XXV–02/2018 Part-II देहरादूनः दिनांक 02 मार्च, 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तरकाशी/हरिद्वार/नैनीताल।

विषयः– **विभिन्न शिकायती पत्रों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्याः 2020/रा.नि.आ.–3/2486/20 दिनांक 27 फरवरी, 2019 के साथ संलग्न निम्न विवरणानुसार शिकायती पत्र प्राप्त हुए है, जो आपके जनपदों से संबंधित है।

क0 स0	पत्र प्रेषित करने वाले का नाम व पता	संदर्भ/विवरण	जनपद का नाम
1.	श्री जगमोहन सिंह एवं अन्य समस्त क्षेत्रवासी भटवाडी का संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त अनुरोध पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2019	उपशिक्षाधिकारी श्रीमती हेमलता गौड़ का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	उत्तरकाशी
2.	श्री गणेश प्रसाद काला, निवासी–12, ए कालीदास रोड़, देहरादून का पत्र दिनांक 15 फरवरी, 2019	जिला कीडा अधिकारी श्री अखतर अली, हलद्वानी के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	नैनीताल
3.	श्री राजकुमार उर्फ टीटू पुत्र श्री भुल्लन सिंह, निवासी ग्राम–शेरपुर, पोस्ट–ढंढेडी ख्वाजगीपुर, जिला हरिद्वार का पत्र दिनांक–13 फरवरी, 2019	3 वर्षों से एक ही जिले में जमें अफसरों के तबादले के सम्बन्ध में।	हरिद्वार
4.	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) का पत्र संख्या– प्रबन्ध/निर्वाचन/2018–19, दिनांक 22 फरवरी, 2019	परिषद् कार्यालय में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगामी लोक सभा निर्वाचन–2019 की ड्यूटी से मुक्त रखने के सम्बन्ध में।	नैनीताल
5.	श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा श्री लेखराज सिंह निवासी–एस0 142 फेस 4 शिवालिक नगर, भेल रानीपुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2019	जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार श्री ब्रहमपाल सिंह का गृह जनपद हरिद्वार से स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार

अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपदों से संदर्भित प्रकरणों पर जाँचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

प्रमाणित प्रति

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी
कार्या0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या– /XXV–02/2018 , Part-II, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि उपरोक्त संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

Compalin

S.O-3

822
23/2/19

25.2.19
सहा० आयुक्त

श्री सुनील अरोडा जी (मुख्य चुनाव आयुक्त),
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

– उत्तराखण्ड स्थानानतरण एक्ट 2018 का उलंघ्घन करते हुए श्री ब्रहमपाल सिंह जिला अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार का गृह जनपद हरिद्वार में तैनाती देना, जिससे भविष्य मे होने लोक सभा चुनाव 2019 को प्रभावित करेंगे । निष्पक्ष चुनाव हेतु श्री ब्रहमपाल सिंह जिला अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार का गृह जनपद हरिद्वार से स्थानान्तरण करनें के सम्बन्ध में।

य,

प्रार्थी आपसे उत्तराखण्ड प्रदेश के हरिद्वार जनपद में शिक्षा विभाग में श्री ब्रहमपाल सिह जिला अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार के पद पर कार्यरत है। और ये हरिद्वार जनपद के ही मूल निवासी है, और ग में लगातार भ्रष्टाचार कर रहे है। ग्रह जनपद में इनकी तैनाती राजनितिक संरक्षण के कारण राखण्ड स्थानान्तरण एक्ट 2018 के विपरीत उलंधन करके हुई है। आप से निम्नलिखित निवेदन है –

1. श्री ब्रहमपाल सिंह जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार के पद पर तैनात है का मूल जनपद हरिद्वार है। **संलग्नक– विभागीय पोर्टल दो पेज।**
2. उत्तराखण्ड स्थानान्तरण एक्ट 2018 के अनुसार समूह–क एवं समूह–ख के अधिकारी को गृह जनपद में तैनाती नही दी जायेगी। **संलग्नक– उत्तराखण्ड स्थानानतरण एक्ट 2018 की छाया प्रति दो पेज।**
3. श्री ब्रहमपाल सिह जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार ने गत वर्ष निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता में कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक के स्थान पर शिक्षक संघ कार्यालय का उदघाटन 28 अक्टूबर 2018 को किया। इस अधिकारी ने निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने का कार्य किया उक्त कार्यकम से स्पष्ट है। **संलग्नक– उक्त कार्यकम के फोटोग्राफ एवं समाचार पत्रो मे प्रकाशित खबर की छायाप्रतिया कुल ग्यारह पेज।**
4. श्री ब्रहमपाल सिह जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार द्वारा पेसे लेकर लगातार गलत कार्य विभाग में किये जा रहे हैं जिनके साक्ष्य प्राथी के पास आर0 टी0 आई0 के माध्यम से प्राप्त है। जो सरकार को, विभाग के उच्चाधिकारियो को एवं राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड को भेजी गयी है। जिस पर कोई कार्यवाही नही की गयी है।
5. श्री ब्रहमपाल सिह जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार आर0 एस0 एस0 से संबन्धित है। तथा राजनीतिक गतिविधियो में बढ चढ कर प्रतिभाग करते है। आगामी 2019 में होने वाले लोक सभा चुनाव निष्पक्ष हो इसलिए श्री ब्रहमपाल सिह जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार को गृह जनपद हरिद्वार से हटाने की कृपा करें।

महोदय, आगामी लोक सभा चुनाव 2019 निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो तथा उत्तराखण्ड स्थानान्तरण एक्ट 2018 के अनुसार श्री ब्रहमपाल सिह जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 हरिद्वार को गृह जनपद से हटाने की महान कृपा कीजिएगा, जिससे निष्पक्ष चुनाव सम्पन हो सके और लोक तन्त्र की गरिमा को बचाया जा सके।

सहयोग की आशा के साथ।

प्रतिलिपि–मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(कुल - 15 साक्ष्य)

प्रार्थी

Jitendra Singh
17/02/19

जितेन्द्र सिंह c/o श्री लेखराज सिंह
निवासी– एस0 142 फेस 4 शिवालिक नगर, भेल
रानीपुर ,हरिद्वार, उत्तराखण्ड। 249403
फोन न0– 9758104509

सचिव

उपायुक्त

उप सचिव

सहा० आयुक्त

25/2/19

(रोशन लाल)
सचिव

निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

उप सचिव